भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)
(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH.: (0512) 2332222 • FAX : (0512) 2296229
Mob. : 09335621629, 09415726924, 09415733686 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

दि: 21.10.2019

सम्मानित भाईयों एवं बहनों,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज दि. 21.10.2019 को Joint Secy (Estt.) MoD की अध्यक्षता में सदस्यता सत्यापन के लिए मीटिंग आयोजित की गयी थी जिसमें अपने महासंघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने हिस्सा लिया।

अपने महासंघ का विचार था/है कि OFB, Depots, Station Workshops / Mil farms में वर्तमान में अत्यन्त अनिश्चितता का वातावरण है इसलिए सदस्यता सत्यापन को वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में कराना उचित रहेगा। परन्तु उसके पहले दि. 03.02.2010 को सम्पन्न हुए सदस्यता सत्यापन के आधार पर BPMS को JCM-II एवं III में बढ़ी हुयी सीटें अविलम्ब आवंटित की जाये। अन्य महासंघों का यह कहना था कि अब नये सत्यापन के आधार पर ही सीटों का आवंटन होना चाहिए। BPMS का यह मानना है कि पिछले 09 वर्षों से बढ़ी हुयी सीटों का आवंटन नहीं किया जाना हमारे साथ अन्याय हुआ है।

अगले चुनाव होने तक रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कौन-कौन 'Workman' है तथा Hospital, Training Estt. में यूनियन की गतिविधियाँ आदि मुद्दे पर निर्णय कर लिये जाने चाहिए।

BPMS का यह स्पष्ट मानना है कि DOPT के निर्देश के अनुसार JCM-I, II एवं III में सीटों का आवंटन आनुपातिक आधार (Proportionate Basis) पर होना चाहिए परन्तु JCM-III में, जो कि सिर्फ रक्षा मंत्रालय में है, एवं की भाँति मान्यता प्राप्त महासंघों

Scanned by CamScanner

की यूनियनों को तथा बहुमत प्राप्त कार्य समिति को मिलना चाहिए। AIDEF ने विरोध तथा IHDWF ने इस प्रस्ताव का ~~समर्थन~~ समर्थन किया जबकि CDRA ने अपने लिए JCM-IV में सीटों की माँग की।

BPMS ने Coast Guard में JCM-IV, Works Committee आदि के गठन की माँग की। Naval HQ के अधीन Command Level के बजाय Unit/Estt. Level पर JCM-IV के गठन तथा JCM-III में 18 सीटों के आवंटन की माँग की।

MES में Area Based Unions के फलीभाड़े को रोकने के लिए जिन यूनियनों के पास Registration और Recognition Certification नहीं होगा उनकी मान्यता/सदस्यता को अमान्य करने की BPMS की माँग का IHDWF ने समर्थन एवं AIDEF ने विरोध किया। BPMS इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा।

इसने यह विषय भी रखा कि यूनियनों की मान्यता हेतु सदस्यों के नाम बताने की बाध्यता के स्थान पर 15% सदस्य संख्या के आधार पर मान्यता प्रदान करने के नियम बनाये जाये तथा अगले सदस्यता सत्यापन को यूनियन की मान्यता हेतु भी स्वीकार किया जाये।

इसने यह भी माँग की कि रक्षा मंत्रालय स्पष्ट निर्देश जारी करे कि 'Protected Workman' के लिए यूनियन का मान्यता नहीं बल्कि सिर्फ पंजीकृत होना आवश्यक है।

CDRA ने माँग रखी कि सदस्यता सत्यापन Secret Ballot के स्थान पर Check-off के द्वारा यूनियन/एशोसिएशन की करायी जाये।

औद्योगिक कर्मचारियों के Inter-Grade Ratio के मामले में सभी ने MCM: HS-I: HS-II: SK :: 20: 25: 25: 30 करने की माँग की।

बोनस भुगतान हेतु सचिव रक्षा मंत्रालय द्वारा सचिव वित्त मंत्रालय को अर्ध-शासकीय पत्र (DO Letter) भेजने की जानकारी प्राप्त हुई है।

धन्यवाद।

आपका

(मुकेश सिंह)
महामंत्री

Scanned by CamScanner